लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 का आरंग से सराईपाली तक फोरलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 4-lane with paved shoulders configuration of NH-6 from Aurang to Saraipali in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रायपुर जिले के खंड के लिये दिनांक 14.09.2011 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 का आरंग से सराईपाली तक फोरलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 4-lane with paved shoulders configuration of NH-6 from Aurang to Saraipali in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रायपुर जिले के खंड के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 14.09.2011 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे जनपद कार्यालय परिसर आरंग, तहसील आरंग, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई।

दिनांक 14.09.2011 को उद्योग की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला रायपुर श्रीमति श्रुति सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री सौमिल चौबे डिप्टी कलेक्टर रायपुर, श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मनीष मिश्रा तहसीलदार आरंग तथा श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकि) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच सहित आस–पास के गांवों से आये हुये लगभग 200 ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है।

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

3. अपर कलेक्टर रायपुर ने कहा कि आरंग से सराईपाली होते हुए उड़ीसा बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है इस परियोजना के बारे में एन.एच.ए.आई. के अधिकारी प्रस्तुतीकरण देंगे। उनके द्वारा संपूर्ण परियोजना का विस्तृत विवरण दिया जावेगा। परियोजना से संबंधित आपके जो भी मत हैं, जो भी आपत्तियां हैं या इससे संबंधित विचार हैं उसको आप यहां पर दर्ज करा सकते हैं। उपस्थित नागरिकों द्वारा व्यक्त किये गये मौखिक अथवा लिखित विचारों को लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण में संलग्न किया जायेगा। अगर परियोजना से संबंधित यदि आपकी कोई आपत्ति है, शिकायतें हैं वे हमारे द्वारा कार्यवाही विवरण में दर्ज की जाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी तथा

इसका निराकरण, निर्णय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि को परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कंसल्टेंट श्री अरसद शेख द्वारा परियोजना के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में डी.बी.एफ.ओ.टी. अन्तर्गत एन.एच. 06 (नया रा.रा. 53) का आरंग से सराईपाली (उड़ीसा सीमा) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन को 4–लेन की सड़क में पुनरूद्धार एवं उन्नयन कार्य करने की योजना है। इसकी कुल लम्बाई 150.40 कि.मी. है। वर्तमान में आर.ओ.डब्ल्यू. 24 मी./37 मी. है एवं प्रस्तावित आर.ओ.डब्ल्यू 45 मी./ 60 मी. है। प्रस्तावित 4–लेन में 4.5 मी. के केन्द्रीय मध्य के साथ किसी भी तरफ 2 मी. जमीनी शोल्डर वाला 8.75 मी. का वाहन मार्ग बनाये जाने का प्रावधान है। इसमें छोटे एवं बड़े पुल, पुलियों की संख्या–125 है, अण्डरपास–24, फ्लाईओवर–1, सर्विस रोड– 12 कि.मी., वृहत् जंक्शन–14, छोटे जंक्शन–101, बसमार्ग–26, ट्रकमार्ग–10, टोलप्लाजा–2, हैलीपैड–2 बनाने प्रस्तावित है। साथ ही सराईपाली, बसना, सांकरा एवं जोंक नदी, पिथौरा, तुमगॉव, महानदी–घोड़ारी, बिरकोनी तथा आरंग जैसे बसाहट वाले इलाकों में बायपास का प्रावधान है जिसकी कुल लम्बाई 28.975 कि.मी. है। प्रस्तावित रोड के 10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं संवेदनशील स्थल, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पाया गया है। निकटवर्ती जल स्त्रोत के रूप में महानदी एवं जोंक नदी है। परियोजना के चार–लेन बनाने में लगभग–112 गॉव प्रभावित हो रहे हैं जिसमें शासकीय भूमि 135 हेक्टेयर, निजी 279 हेक्टेयर, वन भूमि (आरक्षित एवं संरक्षित) 77.22 हेक्टेयर तथा राजस्व वन भूमि 24.03 हेक्टेयर अर्थात् कुल 515.25 हेक्टेयर भू–अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 51,030 पेड़ काटे जायेंगे, जिसकी भरपाई के लिए लगभग दोगुने 1,10,000 वृक्ष लगाये जायेंगे, जिससे कि वातावरण संतुलित रहे। रायपुर जिले में प्रस्तावित राजमार्ग की लम्बाई 8.5 किलोमीटर होगी, इस हेतु शासकीय एवं निजी कुल 42.65 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिगृहित की जावेगी। इसके अतिरिक्त रोड के बीच में मेडियन प्लान्टेशन तथा दोनों किनारे में एवेन्यु प्लान्टेशन भी किये जाने का प्रावधान है जिससे ध्वनि, वायु एवं जल प्रदुषण से बचा जा सके।

4. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री मोहम्मद असलम खान, आरंग ने कहा कि–मैं एक वकील हूं और आरंग मे रहता हूं। फोरलेन के लिए आरंग से जो सड़क जा रही है उसके प्रस्तावित स्थल पर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसका निराकरण किस तरीके से किया जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न पर्यावरण के संबंध में है, रायपुर से लेकर बैहार तक जो फोरलेन बनाया गया है उसमें कितना वृक्षारोपण किया गया है, जो सड़क के आजू–बाजू हैं इसकी जानकारी हो तो बतायें।

2 श्री महेश, ग्राम पारागांव ने कहा कि–मैं ग्राम पारागांव में रहता हूं, पारागांव से जो एन.एच. गांव के बीच से जा रहा है, जहां पर गांव का एक मात्र निस्तारी

तालाब है, इस तालाब के उपर एन.एच. के निर्माण से ग्रामीणों को समस्या हो जायेगी। उन्होने पूछा की इस एन.एच. पर जो पुल प्रस्तावित किया गया है, उसकी उंचाई कितनी होगी। उन्होने यह भी पूछा कि अगर गांव में आवासीय योजना के अंतर्गत किसी को पट्टा दिया गया है, तो क्या ऐसे प्रभावित लोगों को मुआवजा किस आधार पर दिया जायेगा।

3 श्री घनश्याम दास डागा, आरंग ने कहा कि–मेरा आवेदन लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा चुका है, मैं उसी आवेदन को पढ़ रहा हूॅ। प्रस्तावति फोरलेन बायपास मार्ग मेरे निवास स्थान से जा रही है और जिस स्थान से निकल रही है वह 75 वर्ष पुराना नारायण बाग आरंग का है जो लोक हित मे आता है पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है वहां विविध प्रकार की ईमारती, मेडिकल, हर्बल, पुष्प, इत्यादि लगभग 8–9 एकड़ में इसकी पुरी बागवानी व खेती होती है इसके कटने से पूरे नगर का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। बगीचा हटने से वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। यह बगीचा आरंग का सार्वजनिक बगीचा है जिसमें सदियों से काफी लोग भ्रमण करने, घुमने एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए आते है। अतः इस बायपास मार्ग को उस रास्ते से निकालने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की जो समस्या है उस पर विषेष गौर करके उस बगीचे को राहत देने की कृपा करें। यही मेरा आग्रह है।

4 श्री सुंदरलाल सोनकर, कृषक ग्राम पारागांव ने कहा कि–फोरलेन के निर्माण से प्रभावित मकान एवं खेती के एवज में मुआवजा फोरलेन के निर्माण के पहले दिया जायेगा अथवा बाद में।

5 श्री मेघूराम, ग्राम रसनी ने कहा कि–मेरा घर टूट गया है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। दो वर्ष बीत चुके हैं, सड़क बन गई है, रसनी से टाटीबंध तक का मुआवजा अभी तक बाकी है।

6 श्री चन्द्रकांत बंजारे, ग्राम बैहार ने कहा कि–यहॉ से जो फोरलेन निकल रहा है उसके रास्ते में मंदिर है। मंदिर के बगल से सड़क निकाली जावे, तो अच्छा रहेगा। उसमें डिवाईडर और क्रासिंग एवं तीन जगह क्रॉस बनाने का आग्रह किया गया।

7 श्री श्रवण अग्रवाल, आरंग ने कहा कि–बड़े हर्ष का विषय है कि यातायात का उन्नयन शासन की ओर से किया जा रहा है, एक दो–तीन बातें मुझे कहनी है। एक तो विशेष रूप से पर्यावरण का ध्यान आरंग में रखा जाना बहुत ही आवश्यक है क्योकि एक विशेष स्थिति है यहॉ पर उसमें यदि ध्यान नहीं दिया गया तो यहॉ पर पूरे नगर में काफी दूर तक अव्यस्था होगी। दूसरा प्रश्न मुआवजा का है। यह देखा गया है कि पिछला जो भी काम हुआ है, उनका मुआवजा प्रकरण सही ढंग से राजस्व रिकार्ड पर नहीं बनाये गये हैं, जिससे लोगो को काफी तकलीफ हो रही है। कौन आदमी प्रभावित हुआ है और कौन नहीं हुआ है उसका विवरण अभी तक नहीं बताया गया है, ऐसे में आदमी अपनी

आपत्ति किस प्रकार से देगा। मुआवजा प्रकरण में विशेष ध्यान दिया जावे, जो आदमी प्रभावित हो रहा है, अपनी जमीन दे रहा है, उसे उसकी जानकारी दी जावे। उन्होने कहा कि एन.एच. बनने से गांव का विकास होगा।

8 श्री राजेश साहू, आरंग ने कहा कि–प्रस्तावित फोरलेन आरंग से होकर जायेगा अथवा बाईपास रोड बनाया जावेगा। उन्होने कहा कि क्या यह जरूरी है कि मुख्य मार्ग से हटते हुये नये फोरलेन बाईपास का निर्माण किया जावे। उन्होने पूछा कि शासन यदि रोड बनाने के लिये जमीन अधिग्रहित करती है, तो उसके मुआवजे का क्या आधार होगा। हमेशा यह सुनने में आता है कि, मुआवजा बाजार मूल्य के आस–पास मिलेगा, किंतु बाजार मूल्य की दर से मुआवजा नहीं मिलता। पिछले वर्षों में यहां एक नहर का निर्माण किया गया था, जिसके लिये किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, किंतु उसका सहीं मुआवजा आज तक नहीं मिला है। उन्होने पूछा कि यदि फोरलेन का निर्माण होता है, बाईपास रोड का निर्माण होता है, तो क्या केन्द्र सरकार में जो अभी भूमि अधिग्रहण विधयेक पास हुआ है, उसका लाभ यहां के किसानों को मिल पायेगा।

9 श्री घनश्याम दास डागा आरंग ने कहा कि–हमारी जमीन जायेगी, हमें बेघर कर दिया जायेगा, किंतु यदि इससे शहर का विकास होता है, तो हमें मंजूर है। मेरी एक प्रार्थना है कि जमीन मेरी जायेगी और बगल की जमीन की कीमत बढ़ जायेगी। प्रभावित मैं हो रहा हूं और फायदा बगल वाले को मिलेगा। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जावे कि फोरलेन बनने से बची हुई जमीनों की कीमत बढ़ जायेगी इसलिये मुआवजे का निर्धारण बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर किया जावे। बाईपास बनने से मेरा पूरा मकान खत्म हो रहा है, मुझे रहने के लिये एक मकान भी नहीं बचेगा, मुझे फिर नया मकान बनाना पड़ेगा, उसका मुआवजा किस प्रकार दिया जावेगा, कृपया इसका निर्णय लेवें। अवस्था के हिसाब से मैं, मेरी पत्नी एवं मेरे माता–पिता चार प्राणी हम यहां रहते हैं। इस उम्र मे नया मकान बनाना, और नये सिरे से जमना बड़ा दुर्लभ है। इस पर यदि सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करेगें तो बड़ी कृपा होगी। सधन्यवाद। पुनः विचार आएगा तो पुनः बोलूंगा।

10 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिये जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम राज्य के भूमि अधिग्रहण के नियम से अलग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत प्रकिया 3 'ए' के तहत् जो भी भूमि प्रभावित होने जा रही है, उसके खसरे का प्रकाशन केन्द्रीय गजट में कराया जाता है। उसके प्रकाशन के बाद इसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता है, जिसके माध्यम से इसकी सूचना संबंधित को मिलती है। इस परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि की जानकारी केन्द्र सरकार को भेजी गई है, जिससे आपको पता चल जायेगा कि किस–किस खसरे की कितनी जमीन और कौन–कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होने बताया कि पूर्व की

राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना और यह विचाराधीन परियोजना दोनों अलग–अलग हैं। हम यहां आरंग से सरायपाली तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में विचार कर रहे हैं। पूर्व की परियोजना में कई जगहों पर एवेन्यू प्लांटेशन और मेडियन प्लांटेशन किया गया है। जैसे रसनी के पास और मंदिर हसौद के पास वृक्ष लगाये गये हैं, यह प्रक्रिया में है, जल्द ही पूरा किया जावेगा। उन्होने बताया कि पारागांव के तालाब का थोड़ा सा भाग करीब एक से डेढ़ मीटर ही राजमार्ग के निर्माण से प्रभावित होगा। यहां रिटेनिंग वॉल बनाई जायेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से यहां के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। महानदी पर वर्तमान में जो पुल बना हुआ है, नया पुल उससे लगभग एक दो फुट उंचा होगा, और रोड लगभग पांच–छह फीट उंची हो जायेगी। उन्होने यह भी बताया कि विधिक रूप से जारी किये गये पट्टों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया जायेगा, क्योंकि पट्टा सरकारी जमीन का है। इस पर बने मकान का ही मुआवजा दिया जायेगा।

11 श्री महेश, ग्राम पारागांव ने पूछा कि–ग्राम पंचायतों द्वारा दिये गये पट्टों की भूमि का भू–अर्जन किये जाने पर मुआवजा दिया जायेगा अथवा नहीं।

12 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–उसी जमीन पर बने मकान का मुआवजा दिया जायेगा, जो राजस्व अभिलेख में विधिक तौर पर दर्ज है।

13 श्री महेश, ग्राम पारागांव ने कहा कि–इस प्रकार के पट्टों को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया ही नहीं जाता है। नियम ही नहीं है।

14 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग का फिलहाल जो एलाईनमेंट है, वही रहेगा। मकान का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के 3 'ए' के तहत् जमीन के अधिग्रहण की सूचना दी जाती है, तद्पोरांत स्थल का सत्यापन किया जाता है, जिसे 3 'डी' प्रक्रिया कहते हैं। जिन–जिन व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना होता है, उसका गजट में अंतिम प्रकाशन किया जाता है, इसके बाद इसमें बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है। 3 'डी' के प्रकाशन के बाद प्राधिकृत अधिकारी सामान्यतः एस. डी.एम. स्तर के अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया जाता है। इसमें वृक्षों के मूल्यांकन के लिये वन विभाग का सहयोग लिया जाता है तथा भवनों के मूल्यांकन के लिये लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग का सहयोग लिया जाता है। मुआवजे के निर्धारण के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राशि प्राधिकृत अधिकारी के यहां जमा कर दी जाती है, जिनके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को उनकी जमीन, मकान, पेड़ आदि के कुल मुआवजे की राशि दे दी जाती है। इस प्रकार अधिग्रहित की गई जमीन केन्द्र सरकार की हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा मुआवजे के लिये

निर्धारित की गई राशि से 10 प्रतिशत अधिक राशि दी जाती है। ग्राम रसनी के खसरा क्रमांक 1444/1 की भूमि प्रभावित हुई है अथवा नहीं, और इसका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, यह अभिलेख देखने पर ही पता चल सकेगा। उन्होने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के एलाईनमेंट को अंतिम रूप दिया जा चुका है, अब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। बैहार में मंदिर बनाने के लिये विधिक प्रक्रिया अपनाई जायेगी। बैहार में डिवाईडर और क्रॉसिंग के संबंध में उन्होने बताया कि यह फोरलेन मार्ग है, बगल में सर्विस रोड बनाई जायेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति सीधे मुख्य मार्ग में नहीं आ पायेगा, जिससे दुर्घटना या डर की संभावना नहीं रहेगी।

15 श्री चंद्रकांत बंजारे, ग्राम बैहार ने पूछा कि–मार्ग को पार करने के लिये क्या व्यवस्था होगी।

16 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–मिडियन खोले जाने पर दुर्घटना की काफी संभावनायें बढ़ जाती हैं। सर्विस रोड को 100–200 मीटर आगे बढ़ाकर मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। उन्होने बताया कि आरंग के मध्य से फोरलेन बनाये जाने पर पूरा आरंग प्रभावित होगा, इसलिये आरंग में बाईपास प्रस्तावित किया गया है। बाईपास बनाये जाने से शहर के अंदर का ध्वनि प्रदूषण, डस्ट प्रदूषण भी कम हो जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि मुआवजे का निर्धारण 3 'ए' के प्रकाशन के समय राज्य शासन के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार किया जाता है।

17 श्री श्रवण अग्रवाल, आरंग ने पूछा कि–गाईड लाइन का मतलब क्या है।

18 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा सड़क के किनारे की जमीन की दरें निर्धारित की जाती हैं। इसका प्रकाशन किया जा चुका है। स्थानीय लोगों को पता है, यह गाईड लाईन पंजीयन के कार्यालय में उपलब्ध है, जहां से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि 3 'ए' का प्रकाशन आज किया जाता है, तो वर्तमान में निर्धारित गाईड लाईन लागू होगी।

19 श्री मोहम्मद असलम खान, आरंग ने पूछा कि–जो लोग विस्थापित होंगे, उनका व्यवस्थापन स्थानीय निकाय के द्वारा किया जायेगा या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। उन्होने कहा कि जमीन के बिना मकान नहीं बनेगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जमीन का व्यवस्थापन स्थानीय निकाय के द्वारा किया जायेगा या राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा या आपकी अथॉरिटी के द्वारा किया जायेगा।

20 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–विधिवत पट्टों पर बने मकानों का ही मुआवजा दिया जायेगा।

21 श्री मोहम्मद असलम खान ने कहा कि–मैं व्यवस्थापन के संबंध में पूछ रहा हूं।

22 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–पट्टे की जमीन का मालिकाना हक सरकार का होता है। इसलिये इस पर बने मकान का ही मुआवजा मिलता है, जमीन का नहीं।

23 श्री मोहम्मद असलम खान ने कहा कि–दूसरा मकान बनाने के लिये जमीन कौन देगा।

24 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान नहीं है।

25 श्री मोहम्मद असलम खान ने पूछा कि–मकान कहां बनायेंगे।

26 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–पुर्नवास के लिये राज्य सरकार की पुर्नवास नीति लागू होती है।

27 श्री श्रवण अग्रवाल, आरंग ने पूछा कि–एक सर्विस रोड बैहार से प्रोवाईड किया जाएगा वह कहां तक रहेगा। बायपास रोड जहॉ खत्म होगा, उसके बाद जो रोड बनेगी वह रेलवे लाईन की तरफ होगी या दूसरी तरफ होगी।

28 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–बैहार में सर्विस रोड का प्रावधान है। गांव की बसाहट से लगभग 50 मीटर आगे एवं पीछे तक सर्विस रोड का प्रावधान रहता है। उन्होने बताया कि मार्ग का एलाईनमेंट सीधा रखने का प्रयास किया जाता है।

29 श्री श्रवण अग्रवाल ने पूछा कि–क्या मार्ग राईट साईड रेलवे लाईन की तरफ होगा।

30 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जी हां रेलवे की दिशा में ही एलाईनमेंट किया गया है।

31 श्री ओंकार प्रसाद साहू, लाखौली ने कहा कि–एक साल पहले लाखौली में सर्विस रोड के लिये आवेदन किया गया था, जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। लाखौली में मुख्य मार्ग तक पहुंचने में तकलीफ होती है, अभी तक सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ, सर्विस रोड का भी निर्माण नहीं हो पाया है, वहां पर बुजर्ग आदमी गिर जाते हैं जवान आदमी भी गिर जाते हैं।

32 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–रायपुर से आरंग तक का मार्ग बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट के तहत् बनाया गया है। बील्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर के तहत प्रोजेक्ट किसी अमुक व्यक्ति को दे दिया जाता है, जो

रोड का डिजाइन करता है, पैसा लगाता है और टोल टैक्स के माध्यम से पैसा वसूल करता है और वसूली के बाद सरकार को हस्तांतरण करता है। रायपुर से आरंग तक फोरलेन का प्रोजेक्ट वर्ष 2000 से पहले बना था, जिसमें लाखौली में सर्विस रोड का प्रावधान नहीं था। उस समय रोड के किनारे इतना विकास नहीं हुआ था। रोड बन जाने के बाद विकास तेजी से होता है। लाखौली में सर्विस रोड चेंज ऑफ स्कोप प्रक्रिया के तहत् बनाया जा सकता है। इसके लिये शासन की ओर से डिमांड भेजा जाना आवश्यक होता है।

33 श्री घनश्याम दास डागा, आरंग ने पूछा कि–किसानों के खेत से होकर जो मार्ग जायेगा, उससे किसान अनाज, घास वगैरह अपने खेत से घर तक कैसे लायेगा। यहां सर्विस रोड का प्रावधान करना जरूरी है। सर्विस रोड से ट्रैक्टर के माध्यम से आने–जाने में दिक्कत नहीं होगी।

34 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–आपका आशय शहर से आने वाले रोड को राजमार्ग से जोड़े जाने का है।

35 श्री घनश्याम दास डागा, आरंग ने कहा कि–खेतों से अनाज, धान आदि लाने ले जाने के लिये बाईपास में आने की जरूरत न पड़े और ऐसी सर्विस रोड बनाई जावे जिससे परिवहन किया जा सके तथा मवेशियों की कोई दुर्घटना न हो।

36 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–प्रस्तावित फोरलेन के बगल में ही सर्विस रोड बनाई जायेगी, इसके ईर्द–गिर्द नहीं। ग्राम पंचायत की सड़के, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़के जहां कहीं भी फोरलेन से जुड़ेंगी, वहां अंडरपॉस बनाये जाने का प्रावधान है। अंडरपॉस के साथ सर्विस रोड का प्रावधान रहता है।

37 श्री राजेश साहू, आरंग ने पूछा कि–सड़क के लिए, कैनाल के लिए, डैम के लिए, किसी भी तरह के निर्माण के लिए उचित मुआवजा देने के लिए विधेयक बना है और विधेयक के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी आता होगा।

38 श्री सौमिल चौबे डिप्टी कलेक्टर रायपुर ने बताया कि–यह बिल अभी स्टैण्डिंग कमेटी के पास है, नियम बनने के बाद लागू होगा, यहां विद्यमान प्रावधान लागू होंगे।

39 श्री राजेश साहू ने कहा कि–यदि वह बिल आपके काम शुरू होने से पूर्व लागू हो गया तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे।

40 श्रीमति श्रुति सिंह, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर ने कहा कि–इस समय जो नियम लागू है, उसी के प्रावधानों के तहत् अधिग्रहण होगा। उन्होने कहा कि आपका सुझाव नोट कर लिया गया है। जब विधेयक पास होगा, वह अधिनियम बन जायेगा, उस अधिनियम में यह प्रावधान होगा कि वह किस तरह और कहां

तक लागू होगा।

41 श्री वतन चंद्राकर, रसनी ने पूछा कि–मुआवजे की राशि से टी.डी.एस. किन प्रावधानों के तहत् काटा जाता है।

42 श्रीमति श्रुति सिंह, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर ने कहा कि–टी.डी.एस. एक टैक्स है, जितना टैक्स बनता है उतना काट लिया जाता है। रिर्टन फाईल करने पर संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कटौती कर राशि लौटाई जाती है।

43 श्री ज्ञानेश बंजारे, आरंग ने पूछा कि–नक्शे का बटांकन आज तक नहीं हुआ है, तो अवार्ड की राशि किसको दी जायेगी। खसरा किसी और का है, और नाम किसी और का।

44 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–खसरे में यदि त्रुटि है तो, 3 'ए' के प्रकाशन से 21 दिन अंदर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस परियोजना के इस खंड के लिये प्राधिकृत अधिकारी एस.डी.एम. आरंग हैं। उनके कार्यालय में जाकर आवेदन दिया जा सकता है। राजस्व अभिलेख के अनुसार जो सहीं होगा, जिस पर उसका अधिकारी होगा, उसको मुआवजा राशि दी जायेगी।

45 श्री ज्ञानेश बंजारे, आरंग ने कहा कि–मैं अवार्ड की राशि के संबंध में पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह राजस्व का मामला है, इसमें विलंब हो जाता है। हमने एक आवेदन दिया है, बटांकन नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है, तो अवार्ड की राशि किसको मिलेगी।

46 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–3 'ए' के प्रकाशन के बाद आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, जो सहीं होगा उसी का 3 'डी' में प्रकाशन कराया जायेगा। यदि गलती से किसी और का खसरा आ गया और जरूरत किसी और खसरे की है, तो उसका 3 'डी' में प्रकाशन नहीं कराया जाता है। इसके लिये फिर से 3 'ए' की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुआवजा जब भी मिलेगा, वास्तविक व्यक्ति को ही मिलेगा, इसलिये गलती होने की संभावना नहीं है। आपत्ति के लिये पेपर में प्रकाशन से 21 दिन का समय दिया जाता है।

47 श्री घनश्यामदास डागा, आरंग ने पूछा कि–सरकारी गजट में या स्थानीय समाचार पत्र में।

48 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–स्थानीय समाचार पत्र में।

49 श्री घनश्यामदास डागा, आरंग ने कहा कि–मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूं, गजट की तारीख और स्थानीय समाचार पत्र की तारीख में काफी फर्क था।

50 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जिस डेट में पेपर में प्रकाशित करते हैं उस डेट से लेते हैं।

51 श्री आशीष अग्रवाल, आरंग ने कहा कि–मै मुआवजे के संबंध में बात करना चाहता हूं। अलग–अलग जगह का मुआवजा अलग–अलग रहता है। जबकि आप एक तरीके से मुआवजा दे देते हैं जैसे कि आरंग से सरायपाली 2 लाख रूपये एकड़। लेकिन आरंग की जमीन का रेट 20 लाख रूपये एकड़, सरायपाली का रेट 50 हजार रूपये एकड़ है। हम कहां जायेंगे, हमारी जमीन तो आपने ले ली है। ये तो अनिवार्य अधिग्रहण है क्या इसका कोई फामूर्ला है। जमीन अधिग्रहण के उपरांत हम मुआवजे के लिए भटकते रहते हैं, कभी पटवारी के पास, कभी कोर्ट में। आन्दोलन करेंगे तब आप देते हैं, तो क्यों आप हमें आन्दोलन करने पर मजबूर करते हैं आप अपने आप मार्केट रेट से मुआवजा क्यों नहीं देते है।

52 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–मुआवजे का निर्धारण राज्य शासन की गाईड लाईन के अनुसार होता है। किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं दिया जा सकता। गाईड लाईन बनाने वाले शहर के हिसाब से रेट निर्धारित करते हैं। रायपुर का रेट अलग होगा, आरंग का अलग और सराईपाली का अलग। जहां का जो रेट निर्धारित होगा, उसी तरह से मुआवजा दिया जायेगा।

53 श्री आशीष अग्रवाल, आरंग ने कहा कि–रायपुर से बैहार तक बनी रोड में आपने लाभाण्डी का क्या मुजावजा दिया है और रसनी का क्या मुआवजा दिया गया है।

54 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जो भी मुआवजा बना है वो गाईड लाईन के तहत बना है। यह एक सरकारी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत मुआवजे का निर्धारण होता है।

55 श्री मेघूराम, ग्राम रसनी ने कहा कि–रसनी में रोड की जमीन का मूल्य 25 लाख है और सरकारी गाईड लाईन के तहत 6 लाख रू. मुआवजा दिया गया है।

56 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–गाईड लाईन के अनुसार ही दर का निर्धारण किया जाता है। गाईड लाईन में निर्धारित दर से कम दिये जाने पर आर्बिट्रेटर के पास जाया जा सकता है, अपील की जा सकती है।

57 श्री श्रवण अग्रवाल, आरंग ने जानना चाहा कि–गाईड लाइन का आशय आम बिक्री छांट की दर से है या रजिस्ट्री दर से है।

58 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–गाईड लाईन का आशय रजिस्ट्री दर से है।

59 श्री घनश्यामदास डागा, आरंग ने जानना चाहा कि–आपत्ति कहां दर्ज कराई जा सकती है।

60 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–आपत्ति एन.एच.ए.आई. के कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है, जिस स्तर पर आपत्ति का निराकरण होगा उसे वहां भेज दिया जावेगा।

अपर कलेक्टर ने कहा कि जनसामान्य द्वारा दिये गये सभी सुझाव, मांगे गये स्पष्टीकरण, आपत्तियों को हमने कार्यवाही विवरण में शामिल किया है और इसकी एक प्रति आपके ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, कलेक्टर कार्यालय में डिसप्ले की जावेगी। सभी सुझाव, आपत्तियों को संधारित कर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जावेगा। धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है। लोकसुनवाई के दौरान कुल 10 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

अपर कलेक्टर
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)